<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
प्रदीप विधानी बनाम लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर–प्रथम, जोधपुर)
सू.अ.अपील संख्या 108/2023</td><td>न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td>13.06.23</td><td>अपीलार्थी प्रदीप विधानी पुत्र स्व. श्री नानक राम विधानी, निवासी बी–37, उम्मेद क्लब रोड़, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 23.02.2023 में दिनांक 14.01.2022 से 28.01.2023 तक कार्यालय हाजा में लोक कल्याण एवं जनहितार्थ प्रकरणों की सारणी भेजी गयी थी, उपरोक्त आवेदन प्राप्त होने से आदिनांक तक की गई कार्यवाही से संबधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर–प्रथम, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (अपर जिला कलक्टर–प्रथम, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (अपर जिला कलक्टर–प्रथम, जोधपुर) से पत्र क्रमांक सू.अ.अ./प्रा.स. 102/2023/4565 दिनांक 13.04.2023 से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग से प्राप्त कर कुल 03 पृष्ठ की सूचना प्रार्थी को जरिये पत्र संख्या 462 दिनांक 12.04.2023 से प्रेषित कर दी गई। साथ ही दिनांक 14.01.2022 से 28.01.2023 तक जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर को प्रेषित किए गए आवेदन पत्रों की सूचना श्रम साध्य और अति वृहद होने के कारण दिया जाना अपेक्षित नहीं होना बताया। चूंकि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रार्थी को प्रेषित की जा चुकी है, अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

(हिमान्शु गुप्ता)
जिला कलक्टर जोधपुर
जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)</td><td></td></tr>
</table>